

न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी कपासन
जिला चित्तौडगढ
पीठासीन अधिकारी अर्चना बुगालिया (आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या / 37 / 2019

दायर दिनांक 20.05.2019

	उनवान	
अलारख	बनाम	रामेश्वर

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एल0आर0एक्ट0

निर्णय दिनांक: 16.01.2024

—:निर्णय:—

पत्रावली पेश हुई। वकिल प्रार्थी हाजिर। प्रार्थी संख्या 1 फौत। अप्रार्थी संख्या 2 के कायम मुकाम पेश किये जाने हेतु कई अवसर प्रदान किये जा चुके है। पेश नहीं। प्रार्थना पत्र में अप्रार्थी संख्या 2 फौत हुई 90 दिवस से अधिक हो जाने से अबेट हो गया है। प्रार्थना पत्र अबेट किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। आदेश सुनाया गया।



(अर्चना बुगालिया)
उपखण्ड अधिकारी
कपासन

